खण्ड - छः

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

1. प्रस्तावना :-

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राज्य के सर्वोच्च संगठन होने के नाते छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये विभिन्न कार्यक्रमों की योजना और उसके निष्पादन हेतु प्रयासरत है। मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये उच्च टैक्नॉलाजी और बेहतर प्रबंधन को विकसित करने और कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना एवं उसको स्वच्छ बनाये रखना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जन और प्रदूषण की ऑनलाईन निगरानी/उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों को 17 प्रकार की श्रेणीयों में बांटा जाना एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने एवं प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन :-

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा हैः–

1. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
4. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016
5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
6. जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
7. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016
8. ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
9. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
10. फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999
11. बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001
12. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006

3. संगठनात्मक संरचना :-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय नया रायपुर में स्थित है, तथा इसके अधीनस्थ सात क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः रायपुर, भिलाई–दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर, जगदलपुर में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

तालिका-1

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद
2	भिलाई–दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, खैरागढ–छुईखदान–गंडई, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी
3	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली, जी.पी.एम., सक्ती, सारंगढ़–बिलाईगढ़
4	कोरबा	कोरबा
5	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर
6	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर
7	जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा

4. मंडल के मुख्य कार्यकलाप

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान करना।

(2) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अतंर्गत बनाये गए विभिन्न नियमों यथा खतरनाक अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008, नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम 2011, फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 आदि के प्रावधानों का पालन कराना।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्पादित कार्य :-

5.1 जल एवं वायु सम्मति

(अ) मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक मंडल को सम्मति शुल्क के रूप में रू 1238.70/– लाख तथा नवीनीकरण शुल्क के रूप में रू 3598.99/– लाख प्राप्त हुए।

(ब) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

तालिका-2

दिनांक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक उद्योगों को जारी की गई, सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की संख्या

क्र.	कार्यालय का नाम	स्थापना/संचालन सम्मति	नवीनीकरण
1	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर	स्थापना – 105 संचालन – 63 } 168	235
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	419	607
3	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	304	450
4	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	253	254
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	63	56
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	128	176
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	90	85
8	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	74	96
कुल		**1499**	**1959**

तालिका-3

दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले लघु, मध्य/बड़े उद्योगों की संख्या

क्र.	कार्यालय का नाम	लघु उद्योग	मध्यम/बड़े उद्योग
1	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	3132	205
2	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	2387	96
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	1582	67
4	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	244	52
5	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	760	106
6	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	528	34
7	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	455	17
कुल		**9088**	**577**

5.2 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम (मीनार्स) :- इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियाँ– महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी–डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियाँ शामिल हैं। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिक सहयोग से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका -4

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	99
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	84
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	12
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	70
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	92
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	36
	कुल	**393**

(ब) अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग :- मीनार्स कार्यक्रम के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं के वित्तीय व्यय से सभी प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों एवं मुख्य झीलों, बांधों तथा तालाबों के जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका -5

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	207
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	135
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	97
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	238
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	308
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	64
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	137
	कुल	**1186**

(स) औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग :- उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर उद्योगों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका-6

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	254
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	42
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	34
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	106
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	494
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	10
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	97
	कुल	**1037**

5.3 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NAQM)**:- इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों रायपुर, कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग–भिलाई में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित हैं। मॉनिटरिंग में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (एस.पी.एम.), रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाई–आक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विश्लेषित नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :–

तालिका-7

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी.एम.	आर.एस.पी.एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	349	1047	2094	2094
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	96	192	428	428
3.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	100	279	558	558
4.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	90	235	465	465
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	285	285	171	171
	कुल	**920**	**2038**	**3716**	**3716**

(ब) **उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग** :- औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पर सतत् निगरानी रखने हेतु उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार उद्योगों की चिमनियों एवं परिवेशीय वायु के निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका -8

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्टेक मॉनिटरिंग की संख्या	एंबीएन्ट एयर मॉनीटरिंग की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	245	546
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	79	468
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	31	120
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	90	101
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	138	98
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	116	441
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	140	86
	कुल	**839**	**1860**

5.4 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत की गई लोक सुनवाई :-

(अ) दिनांक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक की अवधि में सम्पन्न लोक सुनवाई की संख्या :- 68

तालिका -9

क्र.	कार्यालय का नाम	भारत शासन को भेजे गये प्रकरणों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	68

5.5 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

दिनांक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक की अवधि में जारी नोटिस एवं दिनांक 1 जनवरी निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका -10

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नोटिस	विद्युत विच्छेद/उत्पादन बंद करने के निर्देश
1.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	52	57
2.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग–भिलाई	26	05
3.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	23	201
4	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	04	03
5.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	26	563
6.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	12	21
7.	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	06	96
कुल		**149**	**946**

6. न्यायालयीन कार्यवाही :-

क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार मान. उच्चतम न्यायालय, मान. उच्च न्यायालय एवं मान. एन.जी.टी. में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका -11

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मान. उच्चतम न्यायालय	मान. उच्च न्यायालय	मान. एन.जी. टी.	जिला न्यायालय
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	—	28	01	05
02	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई—दुर्ग	—	60	—	28
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	15	24	05	07
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	—	—	—	—
05	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	01	32	—	24
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	01	06	02	03
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	01	01	—	—
कुल		**18**	**151**	**08**	**67**

क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार जिला न्यायालयों में दिनांक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 में दायर प्रकरणों की संख्या (जल, वायु एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में) का विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका -12

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिला न्यायालयों में इस वर्ष दायर प्रकरणों की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	02
02	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई—दुर्ग	01
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	—
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	—
05	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	—
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	—
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	—
कुल		**03**

7. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :—

1. प्राधिकार — 114
2. नवीनीकरण — 143

8. जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :–

1. प्राधिकार – 628
2. नवीनीकरण – 555

9. ध्वनि स्तर मापन :-

मंडल द्वारा दीपावली के पूर्व एवं दीपावली के दिन ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है जिससे कि दीपावली पर्व के दौरान शहरों में ध्वनि का स्तर कितना है यह ज्ञात हो सके। इस वर्ष मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ध्वनि स्तर मापन की संख्या कुल 376 है।

10. ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन:-

मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्रमुख उद्योगों द्वारा रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जगदलपुर, एवं भिलाई में कुल 146 ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इन उपकरणों द्वारा सतत् रूप में एस.पी.एम., आर.एस.पी. एम., एस.ओ.टू. एवं एन.ओ.एक्स. की स्थिति लगातार ज्ञात होकर दर्शित होती है।

11. 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित।

मंडल में 17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी उद्योग जिनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य था, में आने वाले सभी उद्योगों में उक्त सिस्टम स्थापित कर लिया गया है। प्रदेश में ऐसे उद्योगों की संख्या 163 है।

तालिका -13

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	220497
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	188980
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	4163379
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	866025
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	146383
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	247767
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	52545
	कुल	5885576

13. जन जागरूकता अभियान :-

1. मण्डल द्वारा पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल, 2023 के अवसर पर मिशन लाईफ के कार्यक्रम में ''गोबर पेंट से बनी पेंटिंग लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज''

विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मडंल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ईको क्लब के विद्यार्थियों द्वारा गोबर पेंट से एक घंटे में 3600 वर्ग फीट की पेंटिंग बनाई गई। जिसे 'गोबर पेंट से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग' के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' में दर्ज किया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर इको क्लब के विद्यार्थियों ने 'इनवेस्ट इन आवर प्लैनेट' थीम पर मिशन लाईफ अभियान के तहत एक घंटे में यह पेंटिंग बनाई थी। यह पेंटिंग राजधानी रायपुर के एक मॉल में 100 से अधिक बच्चों के द्वारा बनाई गई थी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर 2 दिवसीय जागरूकता अभियान भी

1. विश्व पर्यावरण दिवस पर इन्वायरोथॉन, भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मण्डल द्वारा नवीन विश्राम गृह, सिविल लाईन, रायपुर में भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया। विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक नगद पुरस्कार व प्रमाण–पत्र दिये गये। इन प्रतियोगिताओं का विषय ''व्यक्तिगत आदतों एवं व्यवहारों में परिवर्तन लाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी करना'' रखा गया था।

1. **मिशन लाईफ कार्यक्रम में एक दिन में 12.38 लाख लोगों ने ली पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा और पर्यावरण मण्डल ने बनाया विश्व कीर्तिमान. राज्य के लिये इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड एवं वर्ल्ड रिकार्ड बुक एवं रायपुर जिले के लिये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल का नाम दर्ज किया गया।**

भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन लाईफ कार्यक्रम के अंतर्गत मण्डल द्वारा चलाये गये अभियान में प्रदेश में 01 जून को 12 लाख 38 हजार 116 लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा लेकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा 1 जून 2023 को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा का कार्यक्रम रखा गया था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जनभागीदारी से जागरूकता लाने की छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल यह अभिनव पहल थी जिसमें एक ही दिन में पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाने हेतु पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा का लक्ष्य रखा गया। राज्य में हर वर्ग के लोगों ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की मुहिम का बढ़ चढ़ कर साथ दिया और एक दिन में 12 लाख 38 हजार 116 से अधिक लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा लेकर विश्व रिकार्ड स्थापित किया। रायपुर जिले में एक दिन में सबसे अधिक प्रतिज्ञा का विश्व रिकार्ड टूटा और 1 लाख 75 हजार 209 शपथ के साथ मण्डल ने लिमका बुक ऑफ रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया। साथ ही पूरे राज्य में 12 लाख 38 हजार 116 से अधिक लोगों ने शपथ लेकर इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकार्ड एवं वर्ल्ड रिकार्ड बुक में मण्डल ने अपना नाम दर्ज कराया।

Limca

4. जून, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रातः ''वॉकेथान'' का आयोजन।

विश्व पर्यावरण दिवस पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा वॉकेथान का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ प्रारंभ इस वॉकेथान में स्कूली बच्चे, प्रमुख शासकीय अधिकारी, प्रमुख कॉरपोरेट के प्रतिनिधि एवं आम नागरिकों सहित लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। पं. आर.डी. तिवारी स्कूल. आमापारा, रायपुर से प्रारंभ यह रैली चार चेक प्वाइंट – विवेकानंद आश्रम, राजकुमार कॉलेज, अनुपम उद्यान एवं साइंस कॉलेज से होते हुए पं. दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम, रायपुर में समाप्त हुई। वॉकेथान के दौरान भारत माता ईको क्लब, बिलासपुर के छात्र–छात्राओं द्वारा पर्यावरणीय माईम शो का आयोजन किया गया। स्कूली छात्र–छात्राओं एवं सभी वर्गो में पर्यावरणीय जागरूकता के उद्देश्य से सिग्नेचर प्वांइट बनाया गया, जिस पर बड़ी संख्या में लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा लेते हुए अपने हस्ताक्षर किये।

5. 16 सितम्बर अंर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर पोस्टर एवं इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन।

अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर मण्डल द्वारा नवीन विश्राम गृह, सिविल लाईंस, रायपुर में ओजोन परत में सुधार एवं जलवायु परिवर्तन में कमी थीम के साथ पोस्टर एवं ''अपशिष्ट के उपयोग के समाधान'' की थीम पर आधारित इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन्वायरोथॉन का आयोजन कलिंगा विश्व विद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया। विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये।

6. मण्डल द्वारा जलवायु परिवर्तन पर वाद विवाद प्रतियोगिता एवं युवा संसद का आयोजन।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से वाद विवाद एवं युवा संसद का आयोजन किया गया। व्यक्तिगत व्यवहार व आदतों का पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव विषय पर आयोजित इस आयोजन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया जिन्होंने इस्ट जोन में छत्तीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया।

7. स्वच्छता ही सेवा में मिशन लाईफ अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा मिशन लाईफ अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा में सफाई अभियान का संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में मण्डल मुख्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया।

8. ईको क्लब के कोऑर्डिनेटर/मास्टर ट्रेनर्स की 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा प्रदेश में संचालित ईको क्लब के कोऑर्डिनेटर/मास्टर ट्रेनर्स की 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 11 एवं 12 जुलाई, 2023 को नवीन विश्राम गृह सिविल लाईंस, रायपुर में किया गया। इस कार्यशाला में राज्य के सभी जिलों से 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दुसरे दिन प्रतिभागियों को नेचर कैम्प के अंतर्गत जंगल सफारी का भ्रमण कराया गया।

9. मिशन लाईफ अभियान के अंतर्गत मण्डल द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन।

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये मिशन लाईफ कार्यक्रम के अंतर्गत मण्डल द्वारा विभिन्न अवसरों पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनेक जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये इन कार्यक्रमों में ईको क्लब के स्कूली बच्चों के साथ साथ समाज के अन्य नागरिकों को भी शामिल किया गया।

10. बोर्ड की वित्तीय स्थिति :-

वर्तमान में बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:–

तालिका -14

अवधि	सम्मति शुल्क रू. लाख में	नवीनीकरण शुल्क रू. लाख में
दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023	1238.70	3598.99

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में कुल स्वीकृत, कार्यरत् एवं रिक्त पदों की जानकारी (31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतन लेवल
1	2	3	4	5	6
1.	मु. अभियंता	01	00	00	लेवल — 16
2.	अति. मु. अभियंता	02	02	00	लेवल — 15
3.	अधीक्षण अभियंता	07	06	01	लेवल — 14
4.	वरि. वैज्ञानिक अधिकारी	03	03	00	लेवल — 14
5.	कार्यपालन अभियंता	09	06	03	लेवल — 13
6.	मुख्य रसायनज्ञ	07	02	05	लेवल — 13
7.	जनसंपर्क अधिकारी	01	01	00	लेवल — 13
8.	विधि अधिकारी	01	00	01	लेवल — 13
9.	वैज्ञानिक	21	07	14	लेवल — 12
10.	सहा.जनसंपर्क अधिकारी	01	00	01	लेवल — 12
11.	स्टाफ ऑफिसर	01	01	00	लेवल — 12
12.	सहायक अभियंता	20	11	09	लेवल — 12
13.	सहायक विधि अधिकारी	02	02	00	लेवल — 12
14.	अनुभाग अधिकारी (बी)	03	02	01	लेवल — 10
15.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	15	11	04	लेवल — 10
16.	स्टेनोग्राफर ग्रेड—1	01	00	01	लेवल — 10
17.	स्टेनोग्राफर ग्रेड—2	02	00	02	लेवल — 09
18.	वरिष्ठ लेखापाल (बी)	06	04	02	लेवल — 09
19.	सहायक प्रोग्रामर	01	01	00	लेवल — 09
20.	उप अभियंता	01	01	00	लेवल — 08
21.	रसायनज्ञ	20	04	16	लेवल — 08
22.	लेखापाल	14	07	07	लेवल — 08
23.	विधि सहायक	01	00	01	लेवल — 08
24.	स्टेनोग्राफर ग्रेड—3	02	00	02	लेवल — 07
25.	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड—1	15	07	08	लेवल — 06
26.	सहायक ग्रेड—2	20	17	03	लेवल — 06
27	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड—2	20	06	14	लेवल — 04
28	सहायक ग्रेड—3	40	13	27	लेवल — 04
29	वाहन चालक	24	05	19	लेवल — 04
30	प्रयोगशाला परिचारक	20	03	17	लेवल — 03
31	दफ्तरी	12	00	12	लेवल — 02
32	भृत्य	35	05	30	लेवल — 01
	कुल	328	127	201	